न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/105/2020	2020/00214	02.11.2020	19.09.2022

01. तैयब खान पुत्र सुल्तानं जाति मेव
02. हाकिमदीन पुत्र सुल्तान जाति मेव
03. साहाबूदीन पुत्र सुल्तान जाति मेव
04. हनीफ पुत्र सुल्तान जाति मेव निवासीयान ग्राम भुल्ला का बास जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलांट्स

बनाम

01. सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहादरपुर, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बहादरपुर दिनांक 05.10.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 55/2020

उपस्थितः—

01. श्री सुरेश चन्द शर्मा —वकील अपीलांट्स

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार बहादरपुर के आदेश दिनांक 05.10.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रायबका के आराजी खसरा नम्बर 46, 50, 51, 53 रकबा 2.40 है0 किस्म चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने पर अतिक्मी मानकर 03 माह सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रायबका के आराजी खसरा नम्बर 46, 50, 51, 53 रकबा 2.40 है0 किस्म चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 31.07.2020 को अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्मी मानकर 03 माह सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बिना सुने कार्यवाही की गयी है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो मौके की वास्तविक स्थिति बताते तथा समर्थन में विवादित आराजी के संबंध में अपने दस्तावेज पेश करते। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 05.10.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 04.10.2019 तक भी अपीलांट्स द्वारा चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण नहीं छोड़ा जाना अवगत कराया है। अपीलांट्स द्वारा यह कहना भी गलत है कि वे पश्चातवर्ति अतिक्रमी नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी अपीलांट्स के पिता द्वारा अतिक्रमण करने पर दिनांक 03.12.2018 को बेदखल कर फसल नीलामी की कार्यवाही की गयी थी। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार बहादरपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.10.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)